



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 1139/2026

Raju Urf Rajeev S/o Ramchandra, R/o Itaka, Police Station
Sikandara, District Dausa Rajasthan.

(At Present Confined In Sub Jail Bandikui, District Dausa).

---Accused-Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. G. L. Sharma, Adv.

For Respondent(s) : Mr. Manvendra Singh Shekhawat, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

30/04/2026

प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र बी.एन.एस.एस. की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना-बांदीकुई, जिला-दौसा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-289/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 420, 406 भा.दं.सं. में पेश किया गया है।

प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत आवेदन दिनांक 05.12.2025 को परिवादी के बयान लेखबद्ध होने के उपरांत नवीन जमानत आवेदन पेश करने की स्वतंत्रता के साथ वापस लिया गया था।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त ने तर्क दिया कि अभियुक्त निर्दोष है, उसे मिथ्या रूप से आलिप्त किया है, अभियुक्त दिनांक 20.08.2025 से अभिरक्षा में है, परिवादी पी.डब्ल्यू-02 के रूप में परीक्षित हो चुका है, उसके कथनों में विरोधाभास है, मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है, शेष विचारण में समय लगेगा, अंत में प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।



इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक द्वारा अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थी-अभियुक्त का यह जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों की बहस के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

वर्तमान मामले में प्रार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध यह आरोप है कि उसने परिवादी पक्ष को सरकारी नौकरी लगाने का झांसा देकर करीब पांच लाख रुपये प्राप्त कर लिये और बाद में कूटरचित नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिया। यद्यपि अभियुक्त का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, लेकिन वर्तमान मामले में वह दिनांक 20.08.2025 से अभिरक्षा में है, परिवादी सहित कुल 7 गवाहान के बयान विचारण न्यायालय के समक्ष लेखबद्ध हो चुके हैं, शेष विचारण में समय लगेगा।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रार्थी-अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण-दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त **राजू उर्फ राजीव पुत्र रामचंद्र** की ओर से प्रस्तुत यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रुपये का बन्ध-पत्र तथा पचास-पचास हजार रुपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो हस्तगत प्रकरण में उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(UMA SHANKER VYAS),J